रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267659
CG-DL-E-14112025-267659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947**
No. 753] **NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

सा.का.नि.839(अ).—गैस सिलेंडर नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप को,भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कीअधिसूचना सा.का.नि.527 (अ) तारीख 04 अगस्त, 2025के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम लोगों को 04 अगस्त, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त अवधि के भीतर आम लोगों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब केन्द्रीयसरकारविस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (चौथा संशोधन) नियम, 2025है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 के नियम 2में खंड (xxviii) के स्थान पर निम्नलिखितखंड कोरखा जाएगा,अर्थात:–

'(xxviii) "गैस सिलेंडर" या "सिलेंडर" से संपीड़ित गैस के भंडारण और परिवहन के लिए धातु का कोई भी बंद कंटेनरअभिप्रेत है, जिसका आयतन पांच सौ मिली लीटर से अधिक परंतु एक हजार लीटर से अनधिक हो, जिसमें किसी मोटर वाहन में ईंधन टैंक के रूप में लगाया गया कोई भी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कंटेनर या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस कंटेनर या संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडर या संपीड़ित हाइड्रोजन गैस सिलेंडर शामिल है, लेकिन इसमें किसी विशेष परिवहन या अंडरकैरिज में लगाया गया कोई अन्य कंटेनर शामिल नहीं है और इसमें एक कंपोजिट सिलेंडर और क्रायोजेनिक कंटेनर शामिल हैं;तथापि, संपीड़ित हाइड्रोजन गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन, संपीड़ित वायु के भरण और भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर की जल क्षमता एक हजार लीटर से तीन हजार लीटर तक हो सकती है, परन्तु नाइट्रोजन,संपीड़ित वायु सिलेंडर का व्यास साठ सेमी से अधिक न होऔर संपीड़ित हाइड्रोजन गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडर का व्यास अस्सी सेमी से अनधिक होना चाहिए।

[फा. सं. पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग (1)]

डॉ.संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि1081 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.189 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 231 (अ) तारीख 15 मार्च, 2018, सा.का.नि. 44 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 44(अ) तारीख 20 जनवरी, 2022, सा.का.नि. 225 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2025,सा.का.नि. 386 (अ) तारीख 16जून, 2025और सा.का.नि. 501(अ) तारीख 28 जुलाई,2025 द्वारा इनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(**Department for Promotion of Industry and Internal Trade**)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025

G.S.R. 839(E).——Whereas the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, was published, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade *vide* number, G.S.R. 527(E), dated the 4th August, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 4th August, 2025;

And whereas, objections and suggestions received from the public within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, namely:—

1. **Short title and commencement.—(**1) These rules may be called the Gas Cylinders (Fourth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gas Cylinders Rules, 2016, in rule 2, for clause (xxviii), the following clause shall be substituted, namely;

‘(xxviii) "gas cylinder" or "cylinder" means any closed metal container having a volume exceeding five hundred mililitre but not exceeding one thousand liters intended for the storage and transport of compressed gas, including any liquefied petroleum gas container or liquefied natural gas container or compressed natural gas cylinder or compressed hydrogen gas cylinder fitted to a motor vehicle as its fuel tank but not including any other such container fitted to a special transport or undercarriage and includes a composite cylinder and cryogenic container; however, the water capacity of cylinder used for filling and storage of Compressed hydrogen gas, Compressed natural gas, nitrogen, compressed air may exceed one thousand liters up to three thousand liters provided the diameter of the nitrogen, compressed air cylinder does not exceed sixty centimeters and the diameter of Compressed hydrogen gas, Compressed natural gas cylinder does not exceed eighty centimeters.

[F. No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R., 1081(E) dated the 22nd November, 2016 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 189(E), dated the 27th February, 2018, G.S.R. 231(E), dated the 15th March 2018, G.S.R. 44(E), dated the 23rd January, 2019, G.S.R. 44(E), dated the 20th January 2022, G.S.R. 225(E), dated the 11th April, 2025, G.S.R.386 (E), dated the 16th June, 2025 and G.S.R. 501(E), dated the 28th July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.11.14 11:35:31 +05'30'